मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 1990 (आषाढ़ 15, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अर्जुन सिंह, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम कजलास में हुई मारपीट से एक हरिजन युवक की मृत्यु की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती जयश्री बनर्जी, सदस्य, जबलपुर शहर के अनेक निचले क्षेत्रों में बरसात का पानी भरने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(3) सर्वश्री राजेन्द्र पामभोई/जालम सिंह पटेल / मोतीलाल वोरा, सदस्य, बस्तर जिले के अनेक क्षेत्रों के युवक युवतियों को सूरत में बन्धक बनाये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री दुलीचन्द जैन, सदस्य, जावद एवं मनासा तहसील के अनेक क्षेत्रों में राजस्थान के ऊंट एवं भेड़ें घुस आने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य, रीवा शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में पोलियो एवं मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप होने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, भोपाल में कोलार से प्रदाय किये जा रहे पेयजल में नारू रोग के कीटाणु पाए जाने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री राजेन्द्र पामभोई, सदस्य, बस्तर जिले के बीजापुर थानान्तर्गत नक्सलवादियों द्वारा डकैती एवं बलात्कार किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. रमन कुमार सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले की कवर्धा तहसील में सकरी नदी के कटाव से दुर्घटना का खतरा उत्पन्न होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री मगनलाल गोइल/जगदम्बा प्रसाद निगम/सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के जतारा थानान्तर्गत जमीन के विवाद में हुई हत्या की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल/रविन्द्र चौबे/शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के अनेक क्षेत्रों में लूट, मारपीट इत्यादि की घटनाएं होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री ललित जैन/धनेश पटिला, सदस्य, प्रदेश में खाद्य सामग्रियों के भावों में वृद्धि होने की ओर राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम निवारी निवासी दो हरिजनों को बस से कुचलने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री राधेश्याम मांदलिया, सदस्य, मंदसौर जिले के गरोठ पुलिस कर्मियों द्वारा झूठी रिपोर्ट पर ग्रामीणों को परेशान करने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, सिहोरा तहसील के ग्राम भमका में वन विभाग एवं पुलिस कर्मियों द्वारा आदिवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के कृषकों को सिंचाई सुविधा न देने के बावजूद भी आवपाशी नोटिस दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री लक्ष्मण जयदेव सतपथी, सदस्य, रायपुर जिले के सरायपाली थानान्तर्गत सरकारी फड़ से तेन्दू पत्ते की चोरी होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री दुलीचन्द जैन, सदस्य, मंदसौर जिले के जावद स्थित महात्मा गांधी महाविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन न मिलने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, भिण्ड बस स्टेण्ड के पास हत्या एवं लूट की हुई घटना की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री के. डी. देशमुख, सदस्य, बालाघाट जिले में राजस्व विभाग द्वारा नदी नालों को मछली मारने हेतु नीलाम किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

3. वर्ष 1990-91 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

2 घंटे (1) मांग संख्या 8 भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन.

मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.

मांग संख्या 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय.

मांग संख्या 35 पुनर्वास.

मांग संख्या 51 धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व.

1 घन्टा (2) मांग संख्या 7 पृथक आगम विभाग से संबंधित व्यय.

4. अशासकीय संकल्प

मध्याह्न 2.30 बजे से 1 घंटा (1) श्री सुरेश सेठ, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"इस सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश विधानसभा यह प्रस्ताव पारित कर, भारत शासन को जनभावनाओं से राष्ट्रहित में अवगत करा, अनुरोध करती है कि संविधान की धारा-370 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा, विशेष परिस्थितियों में दिया गया था. आज की परिस्थितियां इसके विपरीत हैं. देश में जनमत की मांग है कि जम्मू-कश्मीर राज्य की धारा-370 राष्ट्रहित में तत्काल समाप्त की जाये. यदि केन्द्र शासन को संविधान की धारा 370 समाप्त करने में कोई कठिनाई आती हो तो इस विषय पर भारत के नागरिकों का जनमत प्राप्त कर जनादेश को स्वीकार किया जाये".

निर्धारित समय

15 मिनट (2) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"इस सदन का यह मत है कि 10 साल की सेवा कर चुके हर शासकीय सेवक को, यदि उसके परिवार के पास स्वयं का मकान या भू-खण्ड, मध्यप्रदेश में नहीं है, उसे अनिवार्य रूप से निर्मित आवास शासन की ओर से भाड़ा क्रय योजना में उपलब्ध कराया जाय और जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के पास वर्तमान में या भविष्य में स्वयं का आवास हो, उनसे शासकीय आवास वापस लिए जाये."

15 मिनट (3) श्री रामानन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"इस सदन का यह मत है कि आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में सिंचाई का रकबा राष्ट्रीय औसत के समतुल्य करने के लिए समय बद्ध कार्यक्रम बनाया जाय और उसे लागू किया जाय.

15 मिनट (4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"इस सदन का यह मत है कि वर्षों से बन्द पड़ी इन्दौर स्थित नन्दलाल भण्डारी टैक्सटाइल मिल्स को शासन अधिग्रहीत कर 1500 बेरोजगार मजदूरों के हित में तुरन्त चालू कराये."

15 मिनट (5) श्री उदयसिंह पण्डया (श्री लाल सिंह राणावत, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री शिवराज सिंह) सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"इस सदन का यह मत है कि शासकीय स्कूलों के गिरते शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु प्रदेश की प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में रिक्त 18,000 शिक्षकों के पद जुलाई, 1990 में प्रारंभ हो रहे नए शिक्षा सत्र से पूर्व भरे जाएं. इस हेतु आवश्यक हो तो न्यायालयीन प्रक्रिया में गति लाने हेतु भी शासन अग्रसर हो. विद्यार्थियों एवं कक्षाओं की संख्या की दृष्टि से शासन के तय मापदण्ड के अनुसार 28,000 शिक्षकों के नए पद भी इसी वर्ष में स्वीकृत किये जाए.

5. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 22 जून, 1990 को कृषि मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 1347) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री सूबेदार सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक 5 जुलाई, 1990.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.